10/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.

पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी / जवाब~~

दिनांक 27/05/22 को पेश हो

25/6/22 पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प जमवारामगढ में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

20/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.

पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी / जवाब~~

दिनांक 29/9/22 को पेश हो।

29/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.।
वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली
का अवलोकन करने पर वादी का
वाद स्वीकार किया जाता है कि डिक्री
निर्णय [illegible] से जारी की जाकर शामिल
मिसल किया जावे। पत्रावली कौमल
[illegible] बाद
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/9/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
86/2022	15/07/2021	29/09/2022

1. श्रवण पुत्र मोहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जयपुर। **वादी**

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2 गुलाब पुत्र मोहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :- वकील वादीगण
पैरोकार सरकार :- उपस्थित।
प्रतिवादी :- उपस्थित।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

-: निर्णयः-

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 536/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा ग्राम जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो वादी की कयशुदा भूमि है। जिस पर वादी कय करने के बाद से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि कया करते समय वादी ने उक्त विकय पत्र मं अपना नाम श्रवण पुत्र मोहरीलाल दर्ज कर दिया तथा उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 901 दिनांक 22.07.1980 के द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी मोतीलाल गलत दर्ज हो गया तथा उसी अनुसार जमाबन्दी खतौनी संवत 2036 से 2039 में दर्ज हो गया तथा भूप्रबन्धक विभाग जमाबन्दी संवत 2017-2037 में भी वादी का नाम श्रवण पुत्र मोतीलाल दर्ज हो गया तथा उसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमवारामगढ में दर्ज चला आ रहा है। जो कि गलत है। वास्तविकता में वादी का सही नाम श्रवण पुत्रमोहरीलाल है। वादी द्वारा दिनांक 13.07.2021 को आवश्यक कार्य हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ की रिकार्ड में वादी का नाम श्रवण पुत्र मोतीलाल गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करने के लिए श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया तो उनके द्वार सक्षम न्यायालयमें उक्त नाम दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वास्ते वाद पेश करने हेतु कहने के उपरान्त वाद कारण उत्पन्न हुआ जो अब तक निरन्तर जारी है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नाधीन भूमि ख0न0 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर स्थित ग्राम जमवारामगढ पटवार मण्डल जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम श्रवण पुत्र मोतीलाल के स्थान पर श्रवण पुत्र मोहरीलाल घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 दिनांक17.09.2021 को स्वयं उपस्थित हुआ, जो वादी का सगा भाई है, ने अपनी सहमति दी। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने उक्त भूमि विकय पत्र द्वारा कय की है। पत्रावली में संलग्न विकय पत्र की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया। वादी का नाम उक्त विकय पत्र में श्रवण पुत्र मोहरीलाल जाति मीणा अंकित है। तन्दुपरान्त उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय श्रवण पुत्र मोतीलाल नाम अंकन हो गया है।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली को अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 536/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा है, के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विकय पत्र के अनुसार वादी श्रवण पुत्र मोहरीलाल को खसरा नम्बर 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 536/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर श्रवण पुत्र मोतीलाल के अंकन को हजफ कर श्रवण पुत्र मोतीलाल की जगह श्रवण पुत्र मोहरीलाल का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

29/9/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
86 / 2022	15 / 07 / 2021	29 / 09 / 2022

1. श्रवण पुत्र मोहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. गुलाब पुत्र मोहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण
पैरोकार सरकार :– उपस्थित।
प्रतिवादीगण:– उपस्थित।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री किशन लाल एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 536/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा है, के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार वादी श्रवण पुत्र मोहरीलाल को खसरा नम्बर 467 रकबा 1.7300 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 536/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर श्रवण पुत्र मोतीलाल के अंकन को हजफ कर श्रवण पुत्र मोतीलाल की जगह श्रवण पुत्र मोहरीलाल का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 29.09.2022 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

29/9/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

29/9/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ